अनुसूची ''ज''

(देखें नियम 30)

लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची के समक्ष ।

पविवाद सं0..... वर्ष.....।

.....परिवादी (शिकायत कर्त्ता)

बनाम

..... लोक–सेवक,

सेवा में,

.....

.....

.....

चूँकि लोकायुक्त उक्त अधिनियम की धारा–12 की उप–धारा (5) में निर्दिष्ट अपनी सिफारिश या निष्कर्ष पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई से संतुष्ट है। इसलिये यह मामला बन्द किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर से दिया गया।

तारीख.....

सचिव/उप सचिव,
लोकायुक्त का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।